



सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में 2020-21



लोकहितार्थं सत्यमिच्छा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार



वर्ष 2020-21 के लिए
'लेखे एक दृष्टि में'

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड




लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

लेखे एक दृष्टि में 2020-21

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड




आमुख

वर्ष 2020-21 के लिए हमारे वार्षिक प्रकाशन 'लेखे एक दृष्टि में' के पंद्रहवें अंक को प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है, जो सरकारी गतिविधियों का परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जैसा कि "वित्त लेखे और विनियोग लेखे" में परिलक्षित होता है।

वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अंतर्गत लेखों का सारांश विवरण है। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदान-वार व्यय को दर्ज करते हैं और वास्तविक व्यय और आवंटित धन के बीच भिन्नता के लिए स्पष्टीकरण दर्शाते हैं।

वित्त और विनियोग लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C & AG) के निर्देशन में मेरे कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किए जाते हैं।

हम पाठक के उन सुझावों का स्वागत करते हैं जो हमारे प्रकाशन को बेहतर बनाने में सहायक हों।



देहरादून

दिनांक: 06.01.2022

(प्रवीन्द्र यादव)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

उत्तराखण्ड

हमारी दूरदर्शिता, लक्ष्य और बुनियादी मूल्य

दूरदर्शिता

(हम जो बनना चाहते हैं वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था की दूरदर्शिता चित्रित करती है।)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा और लेखा में एक वैश्विक मार्गदर्शन और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के सर्जक बनने का प्रयास करते हैं और सार्वजनिक वित्त और शासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्टिंग के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य, हम उच्च गुणवत्ता की लेखा परीक्षा और लेखांकन के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों यथा विधानमंडल, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

लक्ष्य

(हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को व्यक्त करता है और हमारे वर्तमान कार्यों को वर्णित करता है।)

बुनियादी मूल्य

(हमारे बुनियादी मूल्य हमारे सभी कृत्यों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तम्भ हैं और हमें अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मानदंड देते हैं।)

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखंडता
- विश्वसनीयता
- पेशेवर उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ सं.
अध्याय 1	विहंगावलोकन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	सरकारी लेखों की संरचना	2
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	4
1.4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	7
1.5	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	11
अध्याय 2	प्राप्तियाँ	
2.1	प्रस्तावना	14
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	14
2.3	कर राजस्व	16
2.4	कर संग्रह की लागत	19
2.5	पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति	19
2.6	सहायक अनुदान	20
2.7	लोक ऋण	21
अध्याय 3	व्यय	
3.1	परिचय	22
3.2	राजस्व व्यय	22
3.3	पूँजीगत व्यय	27
3.4	प्रतिबद्ध व्यय	29
अध्याय 4	विनियोग लेखे	
4.1	वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे का सारांश	30
4.2	पिछले पांच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	30
4.3	महत्त्वपूर्ण बचतें	31
अध्याय 5	परिसम्पतियाँ एवं देयताएँ	
5.1	परिसम्पतियाँ	36
5.2	ऋण एवं दायित्व	37
5.3	प्रत्याभूतियाँ	38

अध्याय 6	अन्य मदें	
6.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	39
6.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	39
6.3	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	40
6.4	रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश	42
6.5	लेखाओं का मिलान	42
6.6	लेखा प्रेषित करने वाली इकाईयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	42
6.7	असमायोजित सार आकस्मिक बिल	43
6.8	उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति	43
6.9	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति	44
6.10	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धतायें	45
6.11	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	45
6.12	व्यक्तिगत जमा खाते	46
6.13	निवेश	47
6.14	व्यय का प्रवाह	47
6.15	आरक्षित निधियों की स्थिति	48
6.16	प्रमुख उपकर	51

1.1 प्रस्तावना

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रेषित किए गए लेखों के आंकड़ों को संचित, वर्गीकृत, संकलित करता है और उत्तराखण्ड सरकार के लेखों को तैयार करता है | संकलन 20 जिला कोषागारों, 114 लोक निर्माण प्रभागों, 85 सिंचाई प्रभागों, 57 वन प्रभागों (46 वन एवं 11 जलागम), अन्य राज्यों/ लेखा कार्यालयों द्वारा प्रेषित किए गए प्रारंभिक लेखों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से किया जाता है। हर महीने उत्तराखण्ड सरकार को महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय द्वारा एक मासिक सिविल लेखा प्रस्तुत किया जाता है। कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.) प्रतिवर्ष सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकांकों और व्यय की गुणवत्ता पर एक त्रैमासिक अभिमूल्यन टिप्पणी भी उत्तराखण्ड सरकार को प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (ले० एवं हक०) वार्षिक वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा लेखापरीक्षण के पश्चात् एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने के उपरांत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है।

1.2 सरकारी लेखों की संरचना

1.2.1 सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

सरकारी लेखों की संरचना

भाग 1 समेकित निधि

सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व जिसमें कर राजस्व एवं करेतर राजस्व, जुटाए गये ऋण, समेकित निधि से दिए गये ऋणों (ब्याज सहित) का पुनर्भुगतान शामिल है। सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण, जिसमें जारी किये गये ऋण और जुटाए गये ऋणों का पुनर्भुगतान (और उस पर ब्याज) शामिल है, इस निधि से आहरित किए जाते हैं।

आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय की प्रवृत्ति में है, जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित व्यय जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था और जिसका प्राधिकरण विधानमंडल द्वारा लंबित है, को पूरा करना है। ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से कर दी जाती है। उत्तराखण्ड सरकार के लिए इस निधि का कार्पस ₹ 500.00 करोड़ है।


भाग 2 आकस्मिकता निधि

भाग 3 लोक लेखे

लोक लेखे में ऋणों (भाग- I में शामिल ऋणों के अलावा), 'जमा', 'अग्रिम' [जिसके संबंध में सरकार का धन वापिस देने का दायित्व है या भुगतान की गई राशि को वसूलने का दावा करती है, ऋण और जमा का पुनर्भुगतान और अग्रिम की वसूली सहित] 'प्रेषण' और 'उचन्त' (उन सभी समायोजन शीर्षों को समाहित करते हुए जिनके तहत कोषागार और मुद्रा चेस्ट के बीच नकद का प्रेषण और विभिन्न लेखांकन परिक्षेत्रों के बीच हस्तांतरण जैसे लेनदेन होते हैं) से सम्बंधित लेनदेन दर्ज किए जाएंगे। इन शीर्षों में प्रारम्भिक नामे व जमा का निपटान, बाद में उसी या किसी दूसरे लेखांकन परिक्षेत्र में अनुरूप प्राप्ति या अदायगी के द्वारा अथवा लेखा के अंतिम शीर्षों में पुस्तांकित करके किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखों के संकलन के लिए प्रवाह आरेख



1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे शासन के राजस्व और पूँजीगत लेखाओं, लोक ऋणों और लेखाओं में अभिलिखित लोक लेखे के शेषों से प्राप्त वित्तीय परिणामों के साथ साथ वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं। वित्त लेखे को अधिक व्यापक और सूचना देयक बनाने हेतु इन्हें दो खंडों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखों के (खण्ड-I) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों और संवितरणों के तेरह (13) सारांशित विवरण और 'लेखाओं पर टिप्पणी' जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश, लेखों की गुणवत्ता और अन्य वस्तुओं पर टिप्पणी शामिल होते हैं | खण्ड-II के भाग-I में नौ (9) विस्तृत विवरण एवं भाग-II में तेरह (13) परिशिष्ट सम्मिलित हैं |

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने ₹ 40,56.80 करोड़ की राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए उत्तराखण्ड में सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों / गैर सरकारी संगठनों को हस्तांतरित की | चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से प्रेषित नहीं की जाती हैं, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती हैं। ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खंड II के परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

1.3.2 वर्ष 2020-21 की वित्तीय झलकियाँ

निम्न तालिका वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक वित्तीय परिणाम और बजट अनुमानों का विवरण प्रदान करती है:


क्रम संख्या	घटक	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक आँकड़े (₹ करोड़ में)	बजट अनुमानों से वास्तविक आँकड़ों का प्रतिशत	जीएसडीपी ¹ से वास्तविक आँकड़ों का प्रतिशत
1.	कर राजस्व (केन्द्रांश सहित) ²	2,24,18.10	1,85,06.31	82.55	7.78
2.	करेतर राजस्व	35,39.42	41,70.57	1,17.83	1.75
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	1,64,81.81	1,55,27.48	94.21	6.53
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	4,24,39.33	3,82,04.36	90.02	16.07
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	34.59	23.05	66.64	0.01
6.	अन्य प्राप्तियाँ	...	0.20	...	0.00
7.	उधार एवं अन्य दायित्व ³	99,50.00	54,39.18	54.67	2.29
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	99,84.59	54,62.43	54.71	2.30
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	5,24,23.92	4,36,66.79	83.30	18.37
10.	राजस्व व्यय	4,23,89.67	3,70,91.03	87.50	15.60
11.	ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	58,92.24	47,73.07	81.01	2.01
12.	पूँजीगत व्यय	73,82.56	65,38.21	88.56	2.75
13.	वितरित ऋण एवं अग्रिम	2,51.43	37.55	14.93	0.02
14.	कुल व्यय (10+12+13)	5,00,23.66	4,36,66.79	87.29	18.37
15.	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+) (4-10)	(+) 49.66	(+)11,13.33	22,41.90	0.47
16.	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य(+) (4+5+6-14)	(-)75,49.74	(-) 54,39.18	(+) 72.04	(-) 2.29

¹ वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 23,77,46.51 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है।

² ₹ 65,68.72 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है। [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹ 1,19,37.59 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.02 प्रतिशत था।

³ उधार एवं अन्य दायित्व: शुद्ध (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण (₹ 68,65.10 करोड़) + आकस्मिकता निधि शुद्ध (₹ - 2,24.71 करोड़) + शुद्ध [प्राप्तियाँ - संवितरण], लोक लेखा (₹ -16,29.16 करोड़) +प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध (₹ 4,27.95 करोड़)।

वर्ष 2020-21 में प्राप्तियाँ एवं संवितरण



⁴ ₹ 65,68.72 करोड़ में राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय (कर) का भाग सम्मिलित है। [राज्य सरकार की स्वकर प्राप्तियाँ ₹ 1,19,37.59 करोड़ थी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.02 प्रतिशत था।

⁵ उधार एवं अन्य दायित्व: शुद्ध (प्राप्तियाँ - संवितरण) लोक ऋण + आकस्मिकता निधि शुद्ध, + शुद्ध [प्राप्तियाँ - संवितरण], लोक लेखा + प्रारंभिक एवं अंतिम रोकड़ शेष शुद्ध।

1.3.3 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यय विधायिका के प्राधिकार के बिना सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। संविधान में वर्णित कुछ ऐसे व्ययों को छोड़कर, जिन्हें समेकित-निधि को प्रभारित किया जाता है तथा विधायिका के वोट के बिना व्यय किया जा सकता है, अन्य सभी व्यय दत्तमत होना आवश्यक है। विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। उत्तराखण्ड के बजट में 01 प्रभारित विनियोग, 07 प्रभारित विनियोग / दत्तमत अनुदान और 23 दत्तमत अनुदान है। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाना है कि विनियोग के साथ संकलित किए गए वास्तविक व्यय को किस सीमा तक प्रति वर्ष के विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

1.3.4 बजट तैयार करने की दक्षता

वर्ष 2020-21 के विनियोग अधिनियम में ₹ 5,75,90.76 करोड़ के सकल व्यय तथा ₹ 23,48.00 करोड़ की वसूलियाँ जिन्हें व्यय में से घटा दिया जाना था, की व्यवस्था की गई थी। इनके विरुद्ध ₹ 5,20,00.11 करोड़ के वास्तविक सकल व्यय तथा ₹ 63.73 करोड़ की वसूलियों के परिणामस्वरूप ₹ 55,90.65 करोड़ (9.71 प्रतिशत) की बचत तथा ₹ 22,84.27 करोड़ (97.29 प्रतिशत) व्यय में कमी का अधिक आकलन परिलक्षित हुई। 'वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें', 'कृषि कर्म एवं अनुसंधान', 'सहकारिता', 'ग्राम्य विकास', 'खाद्य' और 'औद्योगिक विकास' से संबंधित छः अनुदानों के अंतर्गत आधिक्य परिलक्षित हुए हैं।

1.4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक से न्यूनतम सहमति नकदी शेष (₹ 0.16 करोड़), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखना आवश्यक है, में कमी को पूरा कर तरलता बनाए रखने के लिए अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹ 53,48.15 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त किए और ₹ 56,61.42 करोड़ चुकाए। अर्थोपाय अग्रिम 92 अवसरों (39 साधारण और 53 विशेष) पर लिए गये। हालाँकि, 31 मार्च 2021 को कोई भी अर्थोपाय अग्रिम बकाया नहीं रहे। वर्ष के दौरान ₹ 5.21 करोड़ की धनराशि अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में दी गयी।

1.4.2 भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले अपेक्षित न्यूनतम रोकड़ शेष (₹ 0.16 करोड़) में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम लेने के बावजूद यदि कमी रहती है तो भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिविकर्ष / ओवर ड्राफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 4 दिनों के लिए अधिविकर्ष लिया गया।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

वर्ष 2020-21 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 11,13.33 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹ 54,39.18 करोड़ था जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.47 और 2.29 प्रतिशत था। शुद्ध लोक ऋण (₹ 68,65.10 करोड़), लोक लेखे में वृद्धि (₹ -16,29.16 करोड़), शुद्ध आकस्मिकता निधि (₹ -2,24.71 करोड़) और प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष में शुद्ध कमी (₹ 4,27.95 करोड़) से राजकोषीय घाटा पूरा किया गया। राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,82,04.36 करोड़) का लगभग 60 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 1,17,55.15 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 47,73.07 करोड़), पेंशन (₹ 61,67.71 करोड़) और सब्सिडी (₹ 1,38.63 करोड़), पर खर्च किया गया था।

निधि के स्रोत एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

स्रोत

• 1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक रोकड़ शेष	595.25
• राजस्व प्राप्तियाँ	3,82,04.36
• विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.20
• ऋण एवं अग्रिम की वसूली	23.05
• लोक ऋण	1,51,34.69
• अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	19,10.51
• आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	11,91.00
• जमा प्राप्तियाँ	50,90.50
• सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	0.00
• उचन्त लेखा	6,51,79.28 ⁶
• प्रेषण	0.75
• आकस्मिकता निधि	1.52
• योग	12,73,31.11

उपयोग


• राजस्व व्यय	3,70,91.03
• पूँजीगत व्यय	65,38.21
• प्रदत्त ऋण	37.55
• लोक ऋण का पुनर्भुगतान	82,69.59
• अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि.	14,79.05
• आरक्षित एवं प्रेषण निधियाँ	11,01.10
• जमा पुनर्भुगतान	47,08.49
• प्रदत्त सिविल अग्रिम	0.00
• उचन्त लेखा	6,77,05.40 ⁷
• प्रेषण	7.16
• आकस्मिकता निधि	2,26.23
• 31 मार्च 2021 को अन्तिम रोकड़ शेष	1,67.30
• योग	12,73,31.11

⁶ रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹ 2,58,08.76 करोड़ सम्मिलित हैं |

⁷ रोकड़ शेष निवेश लेखा के ₹ 2,77,40.33 करोड़ सम्मिलित हैं |


1.4.4 ₹ कहाँ से आया?

वास्तविक प्राप्तियाँ



1.4.5 ₹ कहाँ गया?

वास्तविक व्यय



वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 11,13.13 करोड़ का राजस्व आधिक्य (2019-20 में ₹ 21,36.23 करोड़ घाटा) और ₹ 54,39.18 करोड़ का राजकोषीय घाटा (2019-20 में ₹ 76,57.27 करोड़ घाटा) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.47 प्रतिशत और 2.29 प्रतिशत है | राजकोषीय घाटा सकल व्यय (₹ 4,36,66.79 करोड़) का 12.46 प्रतिशत रहा |

घाटा और आधिक्य क्या दर्शाते हैं ?

घाटा

राजस्व और व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे का स्वरूप, घाटा वित्त पोषण कैसे हो तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं |

राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है | राजस्व व्यय की आवश्यकता सरकार की वर्तमान स्थापना के रखरखाव हेतु होती है और आदर्शतः इसे राजस्व प्राप्तियों से पूर्णतः वहन किया जाना चाहिए |

राजस्व घाटा / आधिक्य

राजकोषीय घाटा / आधिक्य

सकल प्राप्तियों [उधारों को छोड़कर] और सकल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है | इसलिए यह स्पष्ट करता है कि व्यय को किस हद तक उधारी द्वारा वित्त पोषित किया गया तथा आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

1.5 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005

घाटा संकेतक, राजस्व संवर्धन तथा व्यय प्रबंधन सरकार की राजकोषीय कार्यशैली को जाँचने के मुख्य मापदंड हैं। उत्तराखण्ड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम को 2011, 2016 और 2020 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को निर्दिष्ट अवधि तक कुछ राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अधिनियमों द्वारा और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के तहत उपलब्धियाँ निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक आँकड़े (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी से अनुपात ⁸	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व आधिक्य	11,13.33	राज्य में राजस्व आधिक्य होना चाहिए	0.47 (प्राप्त किया)
2	राजकोषीय घाटा	54,39.18	3.5 से 5 ⁹	2.29 (प्राप्त किया))
3	लोक ऋण और अन्य दायित्व	7,37,50.64	25	31.02 (प्राप्त नहीं किया)
4	प्राथमिक घाटा	666.11	..	0.28


राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम, 2005 के तहत आवश्यक उद्घोषणाएँ विधानमंडल में प्रस्तुत किए। राज्य सरकार का राजस्व घाटा वर्ष 2019-20 में ₹ 21,36.23 करोड़ जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 11,13.33 करोड़ का था जो एफआरबीएम अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप है। ₹ 22,18.09 करोड़ की कमी के साथ राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में ₹ 76,57.27 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 54,39.18 करोड़ हो गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.29 प्रतिशत था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य की पुष्टि करता है। वर्ष के दौरान सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों को वर्ष 2020-21 तक जीएसडीपी के 25 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य के सापेक्ष, सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां ₹ 7,37,50.64 करोड़ थी जो जीएसडीपी का 31.02 प्रतिशत थी।

⁸ वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 23,77,46.51 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है।

⁹ एफआरबीएम अधिनियम 2020 के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत और सशर्त सीमा जीएसडीपी का 5.00 प्रतिशत तक है।


1.5.1 राजस्व घाटे / आधिक्य की प्रवृत्ति

राजस्व घाटे / आधिक्य की प्रवृत्ति



1.5.2 राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति


राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति



1.5.3 पूँजीगत पर व्यय की गई उधार निधियों का समानुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार ली गई निधियाँ ¹⁰	पूँजीगत व्यय
2016-17	1,05,91	49,54
2017-18	1,34,57	59,14
2018-19	1,54,48	61,84
2019-20	1,31,13	54,14
2020-21	1,51,35	65,38



सामान्यतः सरकारें राजकोषीय घाटे पर चलती हैं और पूँजीगत / परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए तथा आर्थिक व सामाजिक ढांचे के निर्माण के लिए ऋण लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से निर्मित संपत्तियाँ अपने लिए स्वयं आय उत्पन्न कर सकें। इस प्रकार उधार ली गई निधियों का पूरा उपयोग पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए और राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन और ब्याज की अदायगी हेतु अपेक्षित है। हालाँकि, राज्य सरकार ने वर्तमान वर्ष में उधारों (₹ 1,51,34.69 करोड़) का केवल 43.20 प्रतिशत पूँजीगत व्यय (₹ 65,38.21 करोड़) पर और 0.25 प्रतिशत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों (₹ 37.55 करोड़) पर खर्च किया। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक ऋण में शेष 56.55 प्रतिशत उधार का उपयोग पिछले वर्षों के सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक खाते के हिस्से को चुकाने के लिए किया गया था।

¹⁰ वर्ष के दौरान लोक ऋण की प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है।

2.1 प्रस्तावना

सरकार की प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई है | वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 4,36,66.79 करोड़ (₹ 3,82,04.36 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ एवं ₹ 54,62.43 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ) थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ


सरकार की प्राप्तियों में तीन घटक शामिल हैं नामतः कर राजस्व, करेतर राजस्व और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान |

कर राजस्व : राज्यों द्वारा वसूले गए एवं प्रतिधारित किए गए तथा संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अंतर्गत संघीय करों से राज्यांश के रूप में प्राप्त कर सम्मिलित हैं |


ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि सम्मिलित हैं | **करेतर राजस्व**

सहायक अनुदान : सहायक अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को प्रदर्शित करती है | इसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त “बाह्य अनुदान सहायता” और ‘सहायता, सामग्री, उपकरण’ जो संघ सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं, भी सम्मिलित हैं | राज्य सरकार भी पंचायती राज संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएँ इत्यादि को सहायता अनुदान प्रदान करती है |


राजस्व प्राप्तियाँ



कर राजस्व



सहायक अनुदान



करेतर राजस्व

2.2.1 राजस्व प्राप्तियों के घटक (2020-21)

घटक	वास्तविक (₹ करोड़ में)	राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत
A. कर राजस्व ¹	1,85,06.31	48.44
वस्तु एवं सेवा कर	70,06.54	18.34
आय और व्यय पर कर	40,12.37	10.50
सम्पत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	11,24.15	2.94
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	63,63.25	16.66
B. करेतर राजस्व	41,70.57	10.92
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.02	0.00
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	138.53	0.37
सामान्य सेवाएँ	23,19.97	6.07
सामाजिक सेवाएँ	550.23	1.44
आर्थिक सेवाएँ	11,61.82	3.04
C. सहायक अनुदान और अंशदान	1,55,27.48	40.64
योग – राजस्व प्राप्तियाँ	3,82,04.36	100

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कर राजस्व (राज्य द्वारा उघाया गया)	1,08,97 (6)	1,01,65 (5)	1,21,88 (5)	1,15,13 (5)	1,19,37(5)
केन्द्रीय करों/शुल्कों का राज्यांश	64,12 (3)	70,85 (3)	80,11 (3)	69,02 (3)	65,69(3)
करेतर राजस्व	13,46(1)	17,70 (1)	33,10 (1)	39,99 (2)	41,71(2)
सहायक अनुदान	62,34 (3)	80,85 (4)	77,07 (3)	83,09 (3)	1,55,27(6)
योग राजस्व प्राप्तियाँ	2,48,89 (13)	2,71,05 (12)	3,12,16 (13)	3,07,23 (12)	3,82,04((16)
जीएसडीपी	19,51,25	21,99,54	23,67,68	25,36,66	23,77,47 ²


नोट: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 23,77,46.51 करोड़ का आँकड़ा (वर्तमान मूल्यों पर) अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है।

हालाँकि 2020-21 में जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में 6.28 प्रतिशत की कमी आई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 24.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व (राज्यों को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग सहित) में 0.49 प्रतिशत, गैर-कर राजस्व में 4.30 प्रतिशत और सहायक अनुदान में 86.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

¹ राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग सम्मिलित [भारत सरकार से प्राप्त] है।

² अग्रिम अनुमान

राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)


	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(अ) वस्तु एवं सेवा कर	NA ³	27,88 (1.27)	69,37 (2.93)	68,90 (2.72)	70,07 (2.95)
(ब) आय और व्यय पर अन्य कर	35,14 (1.80)	40,21 (1.83)	48,53 (2.05)	41,97 (1.65)	40,12 (1.69)
(स) सम्पत्ति और पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	9,42 (0.48)	9,06 (0.41)	10,51 (0.44)	10,96 (0.43)	11,24 (0.47)
(द) वस्तुओं और सेवाओं पर कर	1,28,53 (6.59)	95,35 (4.33)	73,59 (3.11)	62,32 (2.46)	63,63 (2.68)
कुल कर राजस्व	1,73,09 (8.87)	1,72,50 (7.84)	2,02,00 (8.53)	1,84,15 (7.29)	1,85,06 (7.78)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19,51,25	21,99,54	23,67,68	25,36,66	23,77,47

नोट: कोष्ठक में दिए गए आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता दर्शाते हैं।

³ जीएसटी 01/07/2017 को लागू किया गया था।

2020-21 के दौरान कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर (₹1,87 करोड़) और बिजली पर कर और शुल्क (₹1,49 करोड़) के अलावा अन्य आय पर कर के तहत अधिक संग्रह के कारण थी।

जीएसडीपी के अनुपात में प्रमुख करों की प्रवृत्ति



2.3.1 राज्य का स्वकर एवं केन्द्रीय करों में राज्यांश

राज्य सरकार का कर राजस्व दो स्रोतों नामतः राज्य का अपना कर संग्रह और संघ करों का विचलन से बनता है |

वर्ष	कर राजस्व (₹ करोड़ में)	संघ के कर और शुल्कों में राज्यांश (₹ करोड़ में)	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
			कर राजस्व (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016-17	17309	6412	10897	5.58
2017-18	17250	7085	10165	4.62
2018-19	20200	8012	12188	5.15
2019-20	18415	6902	11513	4.54
2020-21	18506	6569	11937	5.02

निम्न तालिका में पांच वर्षों की अवधि में दोनों स्रोतों से प्राप्त कर राजस्व की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है: (₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य का स्वकर संग्रह	1,08,97	1,01,65	1,21,88	1,15,13	1,19,37
संघ करों का विचलन	64,12	70,85	80,12	69,02	65,69
कुल कर राजस्व	1,73,09	1,72,50	2,02,00	1,84,15	1,85,06
कुल कर राजस्व में राज्य के स्वकर का प्रतिशत	62.96	58.93	60.34	62.52	64.50

समग्र कर राजस्व में राज्य के स्वकर संग्रह का अनुपात 2017-18 में घटकर 59 प्रतिशत, 2018-19 में घटकर 60 प्रतिशत हो गया जबकि 2019-20 में बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया, 2020-21 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया।

2.3.2 पिछले पांच वर्षों में राज्य के अपने कर संग्रह की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.राज्य वस्तु एवं सेवा कर	अनुपलब्ध ⁴	19,72	48,02	49,31	50,53
2.बिक्री,व्यापार आदि पर कर	71,54	37,03	18,83	18,11	18,58
3.राज्य उत्पाद शुल्क	19,06	22,62	28,71	27,27	29,66
4.वाहन पर कर	5,56	8,16	9,09	9,08	7,41
5.स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	7,78	8,82	10,15	10,72	11,07
6.बिजली पर कर और शुल्क	1,89	3,24	5,06	39	1,89
7.भू राजस्व	1,60	24	34	24	17
8.अन्य कर	1,54	1,82	1,68	1	06
राज्य का कुल स्वकर	1,08,97	1,01,65	1,21,88	1,15,13	1,19,37

⁴ जीएसटी 01/07/2017 को लागू किया गया था।

2.4 कर संग्रह की लागत

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2017-18	2019-20	2020-21
1. स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क					
राजस्व संग्रह	7,78	8,82	10,15	10,72	11,07
संग्रह पर व्यय	24	22	12	13	17
कर संग्रह की लागत	3.08%	2.49%	1.18%	1.21%	1.54%
2 राज्य उत्पाद शुल्क0.					
राजस्व संग्रह	19,06	22,62	28,71	27,27	29,66
संग्रह पर व्यय	19	23	26	25	28
कर संग्रह की लागत	1.00%	1.02%	0.91%	0.92%	0.94%
3. बिक्री,व्यापार आदि पर कर					
राजस्व संग्रह	71,54	37,03	18,83	18,11	18,58
संग्रह पर व्यय	1,86	1,90	41	8	35
कर संग्रह की लागत	2.60%	5.13%	2.18%	0.44%	1.88%
4. वाहनों पर कर					
राजस्व संग्रह	5,56	8,16	9,09	9,08	7,41
संग्रह पर व्यय	0.38	0.36	0.28	0.21	0.20
कर संग्रह की लागत	0.07%	0.04%	0.03%	0.02%	0.03%
5.राज्य वस्तु एवं सेवा कर					
राजस्व संग्रह	19,72	48,02	49,31	50,54
संग्रह पर व्यय	86	87	90
कर संग्रह की लागत	0%	1.79%	1.76%	1.78%

2.5 पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	अनुपलब्ध ⁵	1,01	19,77	19,59	19,53
समेकित वस्तु एवं सेवा कर	अनुपलब्ध ⁵	7,15	1,58
निगम कर	20,56	21,70	27,86	23,53	19,81
आय पर निगम कर से भिन्न कर	14,29	18,32	20,52	18,44	20,31
आय और व्यय पर अन्य कर	15
सम्पत्ति कर	5	...	1
सीमा शुल्क	8,84	7,15	5,68	4.38	3,50
संघ उत्पाद शुल्क	10,10	7,48	3,77	3.04	2,21
सेवा कर	10,28	8,04	74	...	28
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	4	4	5
संघ के करों/शुल्कों में राज्यांश	64,12	70,85	80,12	69,02	65,69

कुल कर राजस्व	1,73,09	1,72,50	2,02,00	1,84,15	1,85,06
कुल कर राजस्व से केंद्रीय करों में राज्यांश का प्रतिशत	37.04	41.07	39.66	37.48	35.50


⁵ जीएसटी 01/07/2017 को लागू किया गया था।

उत्तराखण्ड सरकार ने वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान सभी साझा संघीय करों में राज्यांश के रूप में कुल कर राजस्व का 35.50% से 41.07% हिस्सा प्राप्त किया।


2.6 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान, राज्य योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु (नीति आयोग द्वारा अनुशंसित) एवं वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता को प्रदर्शित करता है। 2020-21 के दौरान सहायक अनुदान के तहत कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,55,27 करोड़ थीं जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

सहायक अनुदान




सहायक अनुदान की प्रवृत्ति




2.7 लोक ऋण

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण (आँकड़े वर्ष 2020-21 के दौरान शुद्ध वृद्धि/कमी को दर्शाते हैं) की स्थिति की प्रवृत्ति:



वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल ₹ 62,00.00 करोड़ के बाईस ऋण खुले बाजार से 6.43 प्रतिशत से 7.85 प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर लिए गये और वे वर्ष 2030 एवं 2031 में शोधनीय हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से ₹ 5,27.81 करोड़ का ऋण लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों से ₹ 53,48.15 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। इस प्रकार वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा कुल ₹ 120,75.96 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया। सरकार ने ऋण और अग्रिम के रूप में भी भारत सरकार से भी ₹ 30,58.73 करोड़ प्राप्त किए।

उधार निधियाँ अर्थात् पूँजीगत व्यय



3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय संगठन के संचालन हेतु दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पूँजीगत व्यय स्थाई परिसम्पतियों के सृजन या इस प्रकार की परिसम्पतियों की उपयोगिता बढ़ाने या स्थाई देयताओं को कम करने के लिए किया जाता है।

सरकारी लेखे में व्यय को शीर्ष स्तर पर तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है; सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ और आर्थिक सेवाएँ। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

● सामान्य सेवाएँ

न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण खण्ड, ब्याज और पेंशन इत्यादि।

शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति और अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण इत्यादि।

● सामाजिक सेवाएँ

● आर्थिक सेवाएँ

कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन इत्यादि।

3.2 राजस्व व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान विनियोग लेखे के अनुसार बजट अनुमानों के विरुद्ध राजस्व व्यय की कमी नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बजट अनुमान	3,22,50	3,15,51	3,56,27	3,89,33	4,23,90
वास्तविक आँकड़े	2,52,72	2,90,83	3,21,96	3,28,59	3,70,91
अन्तर	69,78	24,68	34,31	60,74	52,99
बजट अनुमान से अन्तर का प्रतिशत	22	8	10	16	13

(स्रोत: सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व व्यय का लगभग 62 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 1,17,55 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 47,73 करोड़), पेंशन (₹ 61,68 करोड़) और सब्सिडी (₹ 1,39 करोड़) पर किया गया | पिछले पांच वर्षों में किए गए प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)


घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल राजस्व व्यय	2,52,72	2,90,83	3,21,96	3,28,59	3,70,91
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय ¹	1,57,71	1,97,02	2,15,70	2,17,60	2,28,35
कुल राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	62	68	67	66	62
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	95,01	93,81	1,06,26	1,10,99	1,42,56



यह देखा जा सकता है कि 2020-21 के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 50.05 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2016-17 में ₹ 95,01 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,42,56 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय 46.77 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2016-17 में ₹ 2,52,72 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹ 3,70,91 करोड़ हो गया और इसी अवधि में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 44.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

¹ प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन और सब्सिडी भुगतान पर किया गया खर्च सम्मिलित है |

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2020-21)

(₹ करोड़ में)






3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2016-17 से 2020-21)

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामाजिक सेवाएँ	1,05,29	1,09,29	1,22,09	1,25,93	1,47,62
आर्थिक सेवाएँ	39,03	42,76	50,03	47,04	55,71
ऋण सेवाएँ	37,83	39,87	44,75	46,54	49,23
सामान्य सेवाएँ (ऋण सेवाओं पर व्यय को छोड़कर)	61,51	84,22	90,50	91,91	99,03
स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	9,06	14,69	14,59	17,17	19,32

राजस्व व्यय के मुख्य घटकों की प्रवृत्ति



3.3 पूँजीगत व्यय

यदि विकास प्रक्रिया को बनाए रखना है तो पूँजीगत व्यय आवश्यक है। वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 65,38 करोड़ (जी.एस.डी.पी. का 2.75 प्रतिशत) बजट अनुमान ₹ 73,83 करोड़ से ₹ 8,45 करोड़ कम था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि ने (वर्ष 2019-20 को छोड़कर) वर्ष 2016-17 से स्थिर तालमेल बिठाया है। यह निम्न तालिका में देखा जा सकता है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	बजट (बजट अनुमान)	57,44	55,14	65,84	65,72	73,83
2	वास्तविक व्यय ²	49,54	59,14	61,84	54,14	65,38
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	86	107	94	82	89
4	पूँजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	17%	19%	5%	(-) 12%	21%
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19,51,25	21,99,54	23,67,68	25,36,66	23,77,47
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	10 %	13 %	08 %	07%	-06%

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर ₹ 1,86 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 1,32 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 10 करोड़ और लघु सिंचाई पर ₹ 44 करोड़) व्यय किये। इसके अतिरिक्त सरकार ने सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर ₹ 11,20 करोड़ व्यय किये तथा सरकारी एवं अन्य कंपनियों और सहकारी समितियों में ₹ 1,49 करोड़ निवेश किये।

3.3.2 पिछले पांच वर्षों में पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण


(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएँ	72(1)	8,04(14)	4,54(7)	3,62 (7)	7,55(12)
सामाजिक सेवाएँ	9,48(19)	10,86(18)	10,99(17)	16,10 (29)	19,38(29)
आर्थिक सेवाएँ	39,34(77)	40,24(67)	46,31(73)	34,42 (62)	38,45(58)
ऋण एवं अग्रिम	1,65(3)	77(1)	1,83(3)	1,26 (2)	38(1)
योग	51,19	59,91	63,67	55,40	65,76

नोट : कोष्ठक के आँकड़े कुल पूँजीगत व्यय के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

2 ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित नहीं है

पूँजीगत व्यय के क्षेत्रवार वितरण की प्रवृत्ति



3.3.3 पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

विगत पांच वर्षों में पूँजीगत और राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिखाया गया है:


(₹ करोड़ में)

क्र.संख्या	क्षेत्र		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क	सामान्य सेवाएँ	पूँजीगत	72	8,04	4,54	3,62	7,55
		राजस्व	99,34	1,24,09	1,35,25	1,38,45	1,48,26
ख	सामाजिक सेवाएँ	पूँजीगत	9,48	10,86	10,99	16,10	19,38
		राजस्व	1,05,29	1,09,29	1,22,09	1,25,93	1,47,62
ग	आर्थिक सेवाएँ	पूँजीगत	39,34	40,24	46,31	34,42	38,45
		राजस्व	39,03	42,76	50,03	47,04	55,71
घ	सहायक अनुदान एवं अंशदान	पूँजीगत	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		राजस्व	9,06	14,69	14,59	17,17	19,32

3.4 प्रतिबद्ध व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में वेतन, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि देखी गई :

प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति



पिछले पांच वर्षों में राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रतिबद्ध व्यय	1,57,71	1,97,02	2,15,70	2,17,60	2,28,35
राजस्व व्यय	2,52,72	2,90,83	3,21,96	3,28,59	3,70,91
राजस्व प्राप्तियाँ	2,48,89	2,71,05	3,12,16	3,07,23	3,82,04
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	63	73	69	71	60
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	62	68	67	66	62

2016-17 से 2020-21 के लिए प्रतिबद्ध व्यय में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में इसी अवधि के दौरान 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सरकार को विकास कार्यों के लिए धन की कमी रही।

अध्याय 4 विनियोग लेखे

4.1 वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	राजस्व दत्तमत भारित	3,62,32.13 61,57.54	20,68.94 2.48	0.00 0.00	3,83,01.07 61,60.02	3,20,86.52 50,04.51	(-)62,14.55 (-)11,55.51
2	पूँजीगत दत्तमत भारित	73,82.56 0.00	19,92.27 0.00	0.00 0.00	93,74.83 0.00	66,01.94 0.00	(-)27,72.89 0.00
3	लोक ऋण भारित	35,03.31	0.00	0.00	35,03.31	82,69.59	(+)47,66.28
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत	2,51.43	0.10	0.00	2,51.53	37.55	(-)2,13.98
	कुल योग	5,35,26.97	40,63.79	0.00	5,75,90.76	5,20,00.11	(-)55,90.65

4.2 विगत पांच वर्षों के दौरान बचत / आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत(-)/आधिक्य (+)				
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	कुल
2016-17	(-)73,41.18	(+)3,58.67	(+)31,86.45	(-)2,45.97	(-)40,42.03
2017-18	(-) 44,71.73	(+) 3,62.39	(+) 50,11.39	(-) 1,93.52	(+) 7,08.53
2018-19	(-) 44,43.90	(-) 1,00.84	(+) 70,48.14	(-) 1,00.50	(+) 24,02.90
2019-20	(-)74,29.38	(-)15,96.81	(+)62,19.72	(-)1,57.03	(-)29,63.50
2020-21	(-)73,70.06	(-)27,72.89	(+)47,66.28	(-)2,13.98	(-)55,90.65

4.3 महत्वपूर्ण बचतें

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं /कार्यक्रमों के या तो गैर-कार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को इंगित करती है। लगातार और महत्वपूर्ण शुद्ध बचत वाले कुछ अनुदान नीचे दिए गए हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
13	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	590	364	661	577	1364
15	कल्याण योजनाएँ	522	368	410	454	558
21	उर्जा	314	196	75	214	186
23	उद्योग	141	100	100	97	247
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	660	307	417	469	404
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	197	126	176	180	184

2020-21 के दौरान, कुछ मामलों में ₹ 40,63.79 करोड़ (कुल मूल अनुदान का 7.59 प्रतिशत) का कुल अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ, जहाँ मूल आवंटन के सापेक्ष साल के अंत में महत्वपूर्ण बचत हुई। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
03	2013-मंत्रिपरिषद 800-अन्य व्यय 03-मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय	राजस्व दत्तमत	5.00	3.10	1.90	2.00
04	2014- न्याय प्रशासन 800- अन्य व्यय 10-लोक अदालत	राजस्व दत्तमत	3.71	0.92	2.79	0.20
07	2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं 091-संलग्न कार्यालय 10- वित्त आयोग निदेशालय	राजस्व दत्तमत	1.73	1.45	0.28	0.18

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
10	2055- पुलिस 001-निदेशन तथा प्रशासन 14- राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो	राजस्व दत्तमत	4.95	4.24	0.71	0.83
10	2056-जेलें 001- निदेशन तथा प्रशासन 03-कारागार अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	63.39	52.68	10.71	2.31
11	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 113-समग्र शिक्षा 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	8,63.00	8,13.70	49.30	41.28
11	2204-खेल कूद तथा युवा सेवाएँ 104- खेल कूद 32-पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज	राजस्व दत्तमत	0.90	0.67	0.23	0.33
12	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 24- उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	3.52	2.04	1.48	0.32
12	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान 105- पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 04- मेडिकल कॉलेज	राजस्व दत्तमत	3,11.77	2,58.55	53.22	32.66
13	2217-शहरी विकास 80-सामान्य 001-निदेशन और प्रशासन 02- हरिद्वार कुम्भ/अर्द्ध कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	10,05.37	4,40.69	5,64.68	2.09
15	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 102-बाल कल्याण 03- समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय	राजस्व दत्तमत	90.00	80.48	9.52	5.02

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
16	2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास 01-श्रम 101- औद्योगिक सम्बन्ध 05- औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	2.51	1.72	0.79	0.16
19	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 102- सामुदायिक विकास 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	1,47.20	57.90	89.30	30.00
22	3054-सड़क तथा सेतु 01-राष्ट्रीय राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित	राजस्व दत्तमत	30.00	2.45	27.55	20.00
24	3055-सड़क परिवहन 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-परिवहन संबन्धी अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	40.75	35.18	5.57	0.50
25	2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार 01-खाद्य 001- निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)	राजस्व दत्तमत	42.34	37.96	4.38	0.55
27	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन 01- वानिकी 001- निदेशन तथा प्रशासन 03- सामान्य अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	4,81.70	3,79.33	1,02.37	5.00
29	2401-फसल कृषि कर्म 119-बागवानी तथा वनस्पति 03- औद्योगिक विकास	राजस्व दत्तमत	1,95.31	1,87.99	7.32	19.09
31	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 113-समग्र शिक्षा 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	12.00	10.88	1.12	6.51

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	वास्तविक व्यय	मूल बजट के सापेक्ष बचत	अनुपूरक बजट
31	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय 01- जल पूर्ति 102- ग्रामीण जल पूर्ति 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूँजीगत दत्तमत	7.00	3.81	3.19	8.23

कुछ उदाहरण, जहां अनुपूरक आवंटन किए जाने के बाद भी वर्ष के अंत में अधिक व्यय हुआ, नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट के सापेक्ष आधिक्य
06	2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05- राज्य आपदा मोचन निधि 101-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस० डी० आर० एफ० 02- आपदा राहत निधि से व्यय	राजस्व दत्तमत	4,00.00	6,41.00	10,41.00	10,55.10	14.10
10	2055-पुलिस 110-ग्राम पुलिस 03- ग्राम पुलिस अधिष्ठान	राजस्व दत्तमत	9.37	2.10	11.47	13.18	1.71
11	2202- सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	1,20.00	8.68	1,28.68	1,37.27	8.59
11	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय 01-सामान्य शिक्षा 202- माध्यमिक शिक्षा 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	पूँजीगत दत्तमत	42.00	30.22	72.22	1,00.27	28.05

अनुदान सं०	नामांकन	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	कुल बजट के सापेक्ष आधिक्य
12	2210-चिकित्सा तथा लोक कल्याण 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी 110-अस्पताल तथा औषधालय 01- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	राजस्व दत्तमत	3,06.00	4.00	3,10.00	3,82.89	72.89
31	4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय 102-सामुदायिक विकास 05-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीबी का भुगतान	पूँजीगत दत्तमत	3.50	3.00	6.50	7.50	1.00


5.1 परिसम्पतियाँ

लेखों का मौजूदा रूप, अधिग्रहण/खरीद के वर्ष को छोड़कर, शासकीय परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन आदि का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। इसी प्रकार, लेखे वर्तमान वर्ष में उत्पन्न होने वाली देनदारियों का प्रभाव प्रस्तुत करते हैं परन्तु वे भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते। वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं।

वर्ष 2020-21 के अंत में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 36,83,54 करोड़ था। हालांकि, वर्ष के दौरान कुल निवेश पर प्राप्त लाभांश ₹ 40.02 करोड़ (1.09 प्रतिशत) था। वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश में ₹ 1,48.59 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹ 25.94 करोड़ की वृद्धि हुई।

1 अप्रैल 2020 को आरबीआई के पास नकद शेष राशि ₹ 5,95.25 करोड़ थी और मार्च 2021 के अंत में घटकर ₹ 1,67.30 करोड़ हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 2,77,40.33 करोड़ की राशि का 113 अवसरों पर 14 दिनों के ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया और 144 अवसरों पर ₹ 2,58,08.76 करोड़ के ट्रेजरी बिलों को भुनाया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: -

(₹ करोड़ में)



5.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकार को संचित निधि की जमानत पर उधार लेने का अधिकार देता है। भारत सरकार समय-समय पर वह सीमा निर्धारित करती है, जिस सीमा तक राज्य सरकार बाजार से उधार ले सकती है। उत्तराखण्ड सरकार के FRBM अधिनियम के अनुसार, GSDP राशन का ऋण 25 प्रतिशत से कम होगा। हालांकि, मार्च 2021 के अंत में उत्तराखण्ड सरकार का कुल कर्ज ₹ 7,37,50.64 करोड़ (यानी जीएसडीपी का 31.02 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार के लोक ऋण और कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:


(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी से प्रतिशत	लोक लेखा (₹ करोड़ में)(*)	जीएसडीपी से प्रतिशत	कुल देनदारियाँ (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी से प्रतिशत
2016-17	3,52,10	18	93,73	5	4,45,83	23
2017-18	4,10,15	19	1,08,16	5	5,18,31	24
2018-19	4,62,33	20	1,18,06	5	5,80,39	25
2019-20	5,02,49	20	1,57,33	6	6,59,82	26
2020-21	5,71,15	24	1,66,36	7	7,37,51	31

नोट: आंकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी शेष हैं |

लोक ऋण और अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹ 77,69 (11.77 प्रतिशत) की शुद्ध वृद्धि हुई।

सरकारी दायित्वों की प्रवृत्ति



¹ उच्चतम और प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है |

² ब्याज और बिना ब्याज की देयताएं जैसे स्थानीय निधि में जमा, अन्य उद्दिष्ट निधियाँ इत्यादि |

5.3 प्रत्याभूतियाँ

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकार, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बाजार और वित्तीय संस्थानों से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी भी देती है। संवैधानिक निगमों, सरकारी कंपनियों तथा निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा लिए गये ऋण, पूँजी तथा उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की समेकित निधि पर उत्तरदायित्व है तथा इन प्रत्याभूतियों को राज्य बजट से बाहर पेश किया गया है। जिस सीमा तक राज्य सरकार द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई थी, सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति पर वित्त लेखे के विवरण 9 और 20 को IGAS 1 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने बकाया प्रत्याभूतियों पर सीमित जानकारी प्रदान की है। गारंटी कमीशन द्वारा प्राप्य/ प्राप्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि जो वर्ष के दौरान जोड़ी/आवहानित/खारिज/खारिज नहीं की गई, से सम्बंधित अधूरी जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विवरण में निहित जानकारी उस सीमा तक अधूरी है।

सांविधिक निगम, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों (मूलधन और उस पर ब्याज) के पुनः भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अन्त में	प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अंत तक बकाया धनराशि	
		मूलधन	ब्याज
2016-17	28,05 ³	12,58	सूचना उपलब्ध नहीं
2017-18	21,05 ³	11,73	सूचना उपलब्ध नहीं
2018-19	21,05 ³	13,11	सूचना उपलब्ध नहीं
2019-20	अनुपलब्ध ⁴	5,82	सूचना उपलब्ध नहीं
2020-21	अनुपलब्ध ⁴	7,29	सूचना उपलब्ध नहीं

³ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई आंशिक जानकारी के आधार पर गणना की गई।

⁴ राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

6.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

वर्ष के दौरान खातों में प्रदर्शित होने वाली ऋणात्मक शेषों की राशि नीचे दी गई है। इनके अंतर्गत ऋण शेष गलत वर्गीकरण के कारण थे और समीक्षा/सुधार के अधीन हैं।

मुख्य शीर्ष	विवरण	ऋणात्मक शेष (₹ करोड़ में)
6851	ग्राम एवं लघु उद्योग हेतु ऋण	(-) 0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(-) 19.62

ये ऋण भूतकाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये थे और इनकी उगाही उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होने के पश्चात् उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गयी है। चूँकि इन लेखाशीर्षों के अंतर्गत शेष आवंटित नहीं किए गये हैं, अतः, शेष ऋणात्मक प्रस्तुत हो रहे हैं।

6.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम

राज्य सरकार के विभाग सरकारी सेवकों सहित विभिन्न लाभार्थियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत लेखा-जोखा रखते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की सीमा तक सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों पर वित्त लेखे के विवरण संख्या 7 और 18 को IGAS 3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। राज्य सरकार के विभागों ने सदा के लिए स्वीकृत ऋणों के बकाया मूलधन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। परिणामस्वरूप, IGAS 3 की आवश्यकताओं को इन लेखों में पूरा नहीं किया गया है। सरकार को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकायों की दस्तावेजों में उपलब्ध ऋण और अग्रिम आँकड़ों को वित्त लेखे के आँकड़ों के साथ मिलान करने की आवश्यकता है, जो नहीं किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा 2020-21 के अंत में किए गए कुल बकाया ऋण और अग्रिम ₹ 20,47.91 करोड़ थे। इसमें से सरकारी निगमों/कंपनियों, गैर-सरकारी संस्थानों और स्थानीय निकायों को दिए गए ऋण और अग्रिम की राशि ₹ 20,02.89 करोड़ थी। बकाया ब्याज की वसूली से संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान केवल ₹ 23.05 करोड़ ऋण और अग्रिम की अदायगी के लिए प्राप्त हुए, जिसमें से ₹ 1.12 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को ऋण की अदायगी से संबंधित हैं। बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कदमों से सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

वार्षिक शेष राशि राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जाती है। वर्ष 2000-01 से वर्ष 2020-21 तक, निम्नलिखित चार प्रमुख लेखा शीर्षों से संबंधित ₹ 35,12.20 करोड़ की राशि के लिए कुल 352 स्वीकृतियां प्रतीक्षित हैं। शेष का मिलान किया जा रहा है।

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	वांछित स्वीकृतियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	6401-फसल कृषिकर्म हेतु ऋण	08	4,73.82
2.	6425-सहकारिता हेतु ऋण	101	126.78
3.	6801- विद्युत् परियोजनाओ हेतु ऋण	231	28,88,.62
4.	7055-सड़क परिवहन हेतु ऋण	12	22.98
योग		352	35,12.20


6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS) 2 के अनुसार सहायक अनुदान पर व्यय अनुदानदाता के दस्तावेजों में राजस्व व्यय के रूप में और अंत उपयोग की परवाह किये बिना प्राप्तकर्ता के दस्तावेजों में राजस्व प्राप्त के रूप में दर्ज किया जाता है। उत्तराखण्ड सरकार ने राजस्व अनुभाग के अलावा पूँजीगत अनुभाग में भी राज्य सरकार की इकाइयों को सहायक अनुदान के रूप में धन का परिचालन और आवंटन जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान इस तरह के अनुदान छः पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत दिए गए। इसने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भारत सरकार के लेखा मानक (IGAS) 2 का उल्लंघन किया जिसमें यह कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर संपत्ति सृजन के उद्देश्य से सहायक अनुदान पर व्यय को सरकार के वित्तीय विवरणों में पूँजीगत लेखाशीर्षों से डेबिट नहीं किया जायेगा है। इसके अलावा, IGAS-2 की आवश्यकताओं में से एक सहायक अनुदान का प्रवृत्तिवार चित्रण है, जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है।

स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों आदि को दिया जाने वाला अनुदान सहायता 2016-17 में ₹ 38,50.23 करोड़ से बढ़कर ₹ 25,90.53 करोड़ बढ़कर 2020-21 में ₹ 64,40.76 करोड़ हो गया। जिला परिषदों और पंचायती राज संस्थानों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अनुदान (₹ 19,32.20 करोड़) वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान (पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान को छोड़कर) के 30.00 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संस्था का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	5,08.41	7,15.20	7,42.26	9,02.04	9,55.29
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	3,97.77	7,53.33	7,17.07	8,14.62	9,76.91
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	28.04	26.45	26.00	27.27	3,20.36
4.	विकास एजेंसियाँ	3,56.95	2,36.74	3,00.91	2,16.11	2,58.25
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	12,12.27	6,25.47	7,56.17	4,05.22	3,46.06
6.	अन्य संस्थान	13,46.79	13,06.62	19,23.37	24,34.92	35,83.89
	कुल	38,50.23	36,63.81	44,65.78	48,00.18	64,40.76

प्रदत्त सहायक अनुदान



विगत पांच वर्षों में परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	जिला परिषद् एवं पंचायती राज संस्थाएँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
2.	नगर निगम और नगर पालिकाएँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
3.	विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थान	4.75	4.00	5.50	12.64	13.06
4.	विकास एजेंसियाँ	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
5.	अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
6.	अन्य संस्थान	544.80	712.52	6,10.21	541.34	5,06.41
	योग	549.55	716.52	615.71	553.98	5,19.47

6.4 रोकड़ शेष और रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2020 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति	शुद्ध वृद्धि (+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	5,95.25	1,67.30	(-) 4,27.95
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार के ट्रेजरी बिल)	0.00	19,31.57	(+) 19,31.57
उद्दिष्ट निधि के शेषों से निवेश	13,38.62	14,88.62	(+) 1,50.00
(अ) निक्षेप निधि	1303.62	14,03.62	(+) 1,00.00
(ब) प्रत्याभूति विमोचन निधि	35.00	85.00	(+)50.00
वर्ष के दौरान वसूला गया ब्याज	21.73	32.01	(+) 10.28

विभागीय अधिकारियों जैसे सार्वजनिक कार्य विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास ₹ 10.71 करोड़ नगद शेष था एवं विभागीय अधिकारी के पास आकस्मिक खर्च के लिए स्थायी अग्रिम ₹ 0.81 करोड़ था | 31 मार्च 2021 के अन्त तक राज्य सरकार का अन्तिम रोकड़ शेष नकारात्मक रहा | रोकड़ शेष के निवेश पर ब्याज में वृद्धि 47.31 प्रतिशत के साथ वर्ष 2019-20 के ₹ 21.73 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹ 32.01 करोड़ की ब्याज प्राप्ति हुई |

6.5 लेखाओं का मिलान

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, इसे बजट अनुदान के भीतर रखने के लिए और अपने खातों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सीसीओ) / नियंत्रण अधिकारी (सीओ) को हर महीने अपनी पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान करने की आवश्यकता होती है। लेखा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के आँकड़ों के हिसाब से। वर्ष के दौरान, प्राप्तियों की राशि ₹ 36,512.20 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 95.57 प्रतिशत) और व्यय राशि ₹ 32,107.80 करोड़ (कुल व्यय का 73.59 प्रतिशत) का राज्य सरकार द्वारा मिलान किया गया।

6.6 लेखा प्रेषित करने वाली इकाइयों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

वित्त लेखे 2020-21 उत्तराखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लेनदेनों को प्रस्तुत करता है। 20 कोषागार, 114 लोक निर्माण प्रभाग, 57 वन प्रभाग (46 वन प्रभाग एवं 11 जलागम), 85 सिंचाई और अन्य प्रभागों से प्राप्त प्रारंभिक लेखों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर उत्तराखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्यय के लेखे संकलित किये गये हैं। राज्य सरकार की लेखा प्रतिपादन इकाइयों द्वारा मासिक लेखों का प्रेषण संतोषजनक था वर्ष वित्तीय और के अंत में कोई भी लेखा असमायोजित नहीं रखा गया ।

6.7 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

जब धन की आवश्यकता अग्रिम रूप में होती है या जब आहरण एवं वितरण अधिकारी धन की वास्तविक आवश्यकता की गणना करने में असमर्थ होता है, तो वे आधारभूत दस्तावेजों के बिना ही एसी बिल के माध्यम, सेवा शीर्ष को डेबिट करके सेवा शीर्ष के तहत व्यय दर्शाते हुए धन का आहरण कर सकते हैं। विस्तृत आकस्मिक बिल एक माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं हक०) को प्रस्तुत न करने पर इन धनराशियों को आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है। विलंब से प्रस्तुत या लंबे समय तक डीसी बिल जमा नहीं करने से लेखे की पूर्णता और शुद्धता प्रभावित हो सकती है।

31 मार्च 2021 तक आपत्ति, लम्बित समायोजन के तहत एसी बिलों की स्थिति नीचे दी गई है :
(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित आकस्मिक बिलों की संख्या	धनराशि
2018-19 तक
2019-20	07	0.43
2020-21	70	3.01
योग	77	3.44

मुख्य चूक करने वाले विभाग / डीडीओ जिन्होंने डीसी बिल जमा नहीं किए हैं, पशुपालन (₹ 1.59 करोड़), खेल और युवा सेवाएं (₹ 1.05 करोड़), प्राकृतिक आपदा (₹ 0.49 करोड़) है।

6.8 उचन्त एवं प्रेषण शेषों की स्थिति

वित्त लेखे उचन्त और प्रेषण शीर्षों के तहत शुद्ध शेष राशि को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अलग से बकाया डेबिट और क्रेडिट शेषों को मिलाकर तैयार किया गया है। पिछले चार वर्षों के लिए मुख्य शीर्ष 8658- उचन्त लेखा और 8782- प्रेषण के तहत सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में दिखाए गए महत्वपूर्ण उचन्त मदों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-उचन्त लेखा								
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय- उचन्त	8.27	(-)38.97	30.38	3.45	54.71	3.61	115.24	23.40
शुद्ध	(नामे) 47.24		(नामे) 26.93		(नामे) 51.10		(नामे) 91.84	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	5,52.63	4,09.83	5,49.40	368.32	566.35	411.83	574.13	379.40
शुद्ध	(नामे) 142.80		(नामे) 181.08		(नामे) 154.52		(नामे) 194.73	
107- रोकड़ समाशोधन उचन्त लेखा	3.16	0.26	3.16	0.26	966.77	885.52	81.39	0.26
शुद्ध	(नामे) 2.90		(नामे) 2.90		(नामे) 81.25		(नामे) 81.13	
110- रिज़र्व बैंक उचन्त केन्द्रीय	2,19.66	219.61	214.67	219.61	214.67	219.61	214.67	219.61

लेखा कार्यालय							
शुद्ध	(नामे) 0.05		(जमा) 4.94		(जमा) 4.94		(जमा) 4.94
112-स्रोत पर कर कटौती उचन्त	28.03	1,98.81	28.03	315.31	28.03	266.57	28.03 241.27
शुद्ध	(जमा) 170.78		(जमा) 287.28		(जमा) 238.54		(जमा) 213.24
113-भविष्य निधि उचन्त	24.74	25.47	24.74	24.78	24.75	24.64	24.75 24.64
शुद्ध	(जमा) 0.73		(जमा) 0.03		(नामे) 0.11		(नामे) 0.11
117-रिज़र्व बैंक की ओर से लेन-देन	18.12	17.94	18.12	17.94	18.12	17.94	18.12 20.33
शुद्ध	(नामे) 0.18		(नामे) 0.18		(नामे) 0.18		जमा) 2.21
123-अ0 भा0 से0 के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.25	0.48	0.27	0.50	0.29	0.53	0.23 0.57
शुद्ध	(जमा) 0.23		(जमा) 0.23		(जमा) 0.24		(जमा) 0.25
129-सामग्री क्रय समाशोधन उचन्त लेखा	0.03	-0.73	0.03	-0.73	0.03	(-) 0.73	0.03 (-) 0.73
शुद्ध	(नामे) 0.76		(नामे) 0.76		(नामे) 0.76		(नामे) 0.76
8782- उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन							
102-लोक निर्माण प्रेषण	12,83.25	14,06.60	277.17	398.86	296.13	372.74	296.13 372.74
शुद्ध	(जमा) 123.35		(जमा) 121.69		(जमा) 76.61		(जमा) 76.61
103- वन प्रेषण	246.94	253.29	100.93	126.41	107.23	166.95	107.23 166.95
शुद्ध	(जमा) 6.35		(जमा) 25.48		(जमा) 59.72		(जमा) 59.72
8793-अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	2071.79	1309.85	2090.76	2012.46	2087.89	2013.35	2095.05 2014.10
शुद्ध	(नामे) 761.94		(नामे) 78.30		(नामे) 74.54		(नामे) 80.95

6.9 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

जहां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान मंजूर किए जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। निर्दिष्ट अवधि के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र का बकाया रहना अपेक्षित उद्देश्यों के लिए अनुदान के उपयोग पर आश्वासन के अभाव को दर्शाता है। महालेखाकार (ले० एवं हक०) के दस्तावेजों के अनुसार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विवरण निम्न है :-

वर्ष ¹	वांछित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	03	5.46
2019-20	08	20.82
2020-21	108	8,46.37
कुल	119	8,72.65

¹ वर्ष 2019-20 में लिए गये सहायक अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2020-21 में देय होंगे सिवाय वहां के जहाँ स्वीकृति आदेश में अन्यथा ना दिया गया हो।

मुख्य चूक करने वाले विभाग (वर्ष 2017-18 और 2018-19 हेतु)		Amount (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
2017-18	पंचायती राज संस्थाओं का विभाग	5.20	95.24
	शहरी विकास विभाग	0.26	4.76
2018-19	पंचायती राज संस्थाओं का विभाग	20.16	96.83
	शहरी विकास विभाग	0.66	3.17
2019-20	पंचायती राज संस्थाओं का विभाग	650.41	76.85
	शहरी विकास विभाग	195.96	23.15

6.10 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धताएँ

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 तक 143 अधूरी परियोजनाओं पर कुल ₹ 4,37.61 करोड़ का व्यय किया गया, जबकि मूल अनुमान लागत ₹ 6,14.08 करोड़ थी, जैसा कि वित्त लेखों के खंड II में परिशिष्ट IX में वर्णित है।

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के कारण प्रतिबद्धताओं पर एक सारांशित दृश्य नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यों की श्रेणी (कार्यों की संख्या)	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अन्त तक प्रगामी व्यय	बकाया भुगतान	संशोधन के बाद अनुमानित लागत
1.	सड़क निर्माण कार्य (140)	5,97.16	0.77	4,29.44	1,69.72	अनुपलब्ध
4.	सेतु निर्माण (03)	16.92	0.00	10.17	6.75	अनुपलब्ध
	योग	6,14.08	0.77	4,37.61	1,76.47	अनुपलब्ध

6.11 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1 अक्टूबर 2005 को या उसके बाद भर्ती किये गये राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत आते हैं, जो कि एक 'मूर्त अंशदान योजना' है। इस योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं और राज्य सरकार मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते का 14 प्रतिशत अंशदान करती है और सम्पूर्ण धनराशि नेशनल सिविलियोरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०)/ न्यासी बैंक के माध्यम से नामांकित निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाती है।

कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि और सरकारी अंशदान का अनुमान नहीं लगाया गया है। वर्ष के दौरान, कर्मचारियों का योगदान ₹ 4,69.54 करोड़ था और एनपीएस में सरकार का योगदान ₹ 6,57.36 करोड़ के वांछित योगदान के मुकाबले ₹ 6,82.33 करोड़ था। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा ₹ 24.97 करोड़ का अधिक अंशदान किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एमएच-8342-117-परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत कुल ₹ 11,51.87 करोड़ का योगदान दर्ज किया गया है और कुल ₹ 11,77.31 करोड़ की राशि एनएसडीएल को हस्तांतरित की गई है। ₹ 1,39.20 करोड़ की शेष राशि एनएसडीएल को हस्तांतरित की जानी बाकी है। अर्जित ब्याज के साथ असंग्रहीत, बेजोड़ और अहस्तांतरित राशि, योजना के तहत सरकार की बकाया देनदारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

6.12 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाते नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं; राज्य की संचित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके और प्रमुख शीर्ष 8443-नागरिक जमा और लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत व्यक्तिगत जमा जमा करके। पीडी खातों के प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे खातों को बंद करने और अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है।

2020-21 के दौरान इन पीडी खातों में राज्य की संचित निधि से ₹ 5.53 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें राज्य की संचित निधि से मार्च 2020-21 में हस्तांतरित ₹ 3.40 करोड़ शामिल हैं। यह वर्ष के दौरान पीडी खाते में कुल क्रेडिट का 61.48 प्रतिशत है।

व्यक्तिगत जमा खातों के किसी भी प्रशासक (45 में से) ने कोषागार के आंकड़ों के साथ अपने शेष का मिलान और सत्यापन नहीं किया था और उनके द्वारा महालेखाकार कार्यालय को आगे जमा करने के लिए कोषागार अधिकारी को कोई वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

31 मार्च 2021 को पीडी खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान निकासी		31 मार्च 2021 को अंतिम शेष	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
48	200.29	...	5.53	03	50.29	45	155.53

वित्तीय पुस्तिका खंड-5 भाग-I के परिशिष्ट 20 में कहा गया है कि प्रशासक उस योजना/परियोजनाओं का विस्तृत लेखा-जोखा रखेगा जिसके लिए इसे खोला गया है। इसके अलावा, यदि कोई पीडी खाता 03 वर्षों की अवधि के लिए संचालित नहीं होता है और यह मानने का कारण है कि ऐसे जमा खातों की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लेन-देन के संबंध में 2020-21 के दौरान किए गए 20 कोषागारों के निरीक्षण से पता चला कि 45 ऑपरेटर्स के पीडी खातों के तहत ₹ 0.18 करोड़ की शेष राशि के साथ 26 योजनाएं 03 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ी थीं। व्यपगत और गैर व्यपगत पीडी खातों के संबंध में जानकारी कोषागारों से उपलब्ध नहीं है।

6.13 निवेश

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान उनके द्वारा किए गए निवेश की जानकारी उपलब्ध/पुष्टि नहीं की है। नतीजतन, वित्त खातों के विवरण 8 और 19 में निहित जानकारी मुख्य रूप से सरकारी निवेश पर सीमित जानकारी पर आधारित है जो महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा वाउचर से प्राप्त की जाती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार ने सरकारी कंपनियों में ₹ 1,48.59 करोड़ का निवेश किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में सरकार का कुल निवेश ₹ 36,83.54 करोड़ था | वित्त खातों में दिखाए गए निवेश के आंकड़े उन संस्थाओं के रिकॉर्ड के साथ मेल खाते हैं जहां राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

6.14 व्यय का प्रवाह

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (UBM) के अध्याय XVII के अनुच्छेद 183 एवं विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के सिद्धांत विहित करते हैं कि वित्तीय वर्ष के समापन महीने में होने वाले व्यय से बचा जाना चाहिए। 2020-21 के दौरान कुल व्यय की तुलना में अंतिम तिमाही और मार्च 2021 के दौरान किए गए व्यय की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

जनवरी से मार्च 2021 के दौरान व्यय	मार्च 2021 में व्यय	कुल व्यय	निम्न के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
			जनवरी से मार्च 2021 तक	मार्च 2021
1,75,90.89	1,09,51.69	4,36,29.24	40.32	25.10

6.15 आरक्षित निधियों की स्थिति

आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों के विवरण सं. 21 और 22 में उपलब्ध है | विशेष उद्देश्यों हेतु उद्दिष्ट 09 सक्रिय आरक्षित निधियाँ हैं | 31 मार्च 2021 के अंत में इन निधियों में कुल संग्रहित शेष ₹ 4,910.58 करोड़ था जिसमें से ₹ 3,343.45 करोड़ ब्याज सहित आरक्षित निधियों में एवं ₹ 1,567.13 करोड़ ब्याज रहित आरक्षित निधियों के अंतर्गत था |

(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ:

(अ) राज्य आपदा विमोचन निधि (SDRF):

राज्य आपदा प्रबंधन निधि के संघटन और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार (ब्याज सहित अनुभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत) केंद्र और राज्य सरकारों को निधि में 90:10 के अनुपात में अंशदान करना होता है | वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अंशदान के रूप में ₹ 937.00 करोड़ प्राप्त हुए | वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 104.00 करोड़ था | राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-117 एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत निधि में ₹ 1,041.00 करोड़ (₹ 937.00 करोड़ केंद्र हिस्सा, ₹ 104.00 करोड़ राज्य हिस्सा) हस्तांतरित किये | राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि हेतु केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुई |

निधि में अंशदान, व्यय और शेष का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (1 अप्रैल 2020)	केंद्र द्वारा अंशदान	राज्य का हिस्सा	एन.डी.आर. एफ. के अंतर्गत प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ	समायोजित धनराशि (MH 2245-05)	निधि में शेष	वर्ष के दौरान आर.बी.आई./ राज्य सरकार द्वारा निवेश
578.46	937.00	104.00	...	1,041.00	951.10	668.36	...

प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये कुल व्यय (MH 2245-05-901) ₹ 951.10 करोड़ को निधि के शेष ₹ 1,619.46 करोड़ के विरुद्ध समायोजित किया गया | 31 मार्च 2021 के अंत में निधि के अंतर्गत अंतिम शेष ₹ 668.36 करोड़ था |

(ब) राज्य प्रतिकात्मक वन रोपण निधि :

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ:

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 5-1/2009-FC दिनांक 28 अप्रैल 2009 और 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकारें प्रत्योक्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनरोपण, सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों के संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, वन्यजीव संरक्षण और अन्य संबंधिक गतिविधियों और प्रासंगिक मामलों के लिए एकत्रित धन के उपयोग हेतु राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

राज्य सरकारों द्वारा प्रत्योक्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित जमा अनुभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर "राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा" में जमा किया जाना चाहिए। प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 की धारा 3(4) के अनुसार निधि का 90 प्रतिशत भाग राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ में हस्तांतरित किया जाना चाहिए और शेष 10 प्रतिशत को वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाना चाहिए बशर्ते कि निधियों के केंद्रीय हिस्से, 10 प्रतिशत, को मासिक आधार पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में हस्तांतरित किया जा सके।

'8336-सिविल जमा' के तहत 'राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा' और '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ' के तहत 'राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि' के अंतर्गत बाकी शेषों पर ब्याज की लागू दर केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित की जाएगी।

वर्ष 2019-20 में जब पर्यावरण, जल और जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार ने ₹ 2,675.09 करोड़ की धनराशि उत्तराखण्ड राज्य के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि से हस्तांतरित की थी तब पहली बार मुख्य शीर्ष 8121-129 राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि के अंतर्गत ₹ 2,675.09 करोड़ पुस्तांकित किये गये थे।

हालाँकि, राज्य सरकार ने 2 जुलाई 2009 के दिशा निर्देशों को नहीं अपनाया है। राज्य सरकार ने प्रत्योक्ता शुल्क संग्रहित करने के बारे में अब तक कोई सूचना प्रदान नहीं की है। वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ के अंतर्गत राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में कोई

राशि हस्तांतरित नहीं की गयी | 31 मार्च 2021 को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में कुल शेष ₹ 2,675.09 करोड़ था |

(अ) समेकित ऋण शोधन निधि:

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना की | निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य को पिछले वर्ष के अंत में बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण + लोक लेखा) का कम से कम 0.5 प्रतिशत समेकित ऋण शोधन निधि में अंशदान करना आवश्यक है | निधि में लेन-देन निम्नवत हैं:

1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	निधि में जमा (अंशदान और ब्याज)		निधि से संवितरण	निधि का कुल शेष	वर्ष के दौरान आर.बी.आई द्वारा निवेशित राशि	31 मार्च 2021 को अंतिम शेष
	आवश्यक योगदान (31 मार्च 2020 को बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत)	वर्ष के दौरान जमा अंशदान और ब्याज				
1,378.00	329.91	100.00 + 240.69 (ब्याज)	...	1,478.00	100.00 + 240.69 (ब्याज)	1,478.00 ²

²2020-21 के दौरान आर.बी.आई. द्वारा निवेशित ₹ 100.00 करोड़ सम्मिलित हैं |

(ब) प्रत्याभूति मोचन निधि :

राज्य सरकार ने अधिसूचना सं 177/XXVIV(1)/2006 दिनांक 27.12.2006 के माध्यम से प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की जिसका प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है | राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन जो वर्ष 2016 से प्रभावी है के अनुसार राज्य सरकार प्रारंभ में प्रदत्त प्रत्याभूतियों और वर्ष के दौरान जारी की गयी प्रत्याभूतियों के आधार पर संभावित प्रदत्त प्रत्याभूतियों का न्यूनतम 1/5 वां भाग जमा करेगी |

31 मार्च 2021 को निधि का कुल संग्रहण ₹ 85.00 करोड़ था | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सम्पूर्ण धनराशि निवेशित की जा चुकी है | विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

अप्रैल 1 2020 को प्रारंभिक शेष	निधि में जमा (अंशदान और ब्याज)		2020-21 के दौरान वास्तविक आँकड़े	निधि से संवितरण	निधि का कुल शेष	आर.बी.आई. के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक शेष (31 मार्च 2021 को कुल बकाया प्रत्याभूतियों का 5%)	वर्ष के दौरान आर आई .बी. द्वारा निवेशित राशि	मार्च 31 2021 को अंतिम शेष
	आवश्यक योगदान (31 मार्च 2021 को कुल बकाया प्रत्याभूतियों का 20%)	अंशदान (31 मार्च 2021 को कुल बकाया प्रत्याभूतियों का 5.85%)						
35.00	170.89	50.00	6.19	रिक्त	85.00	36.43	50.00 + 6.19 (ब्याज)	85.00 ³

निधि में हुई लेन देन विवरण 21 और 22 में दर्शाए गये हैं।

³2020-21 के दौरान आर.बी.आई. द्वारा निवेशित ₹ 100.00 करोड़ सम्मिलित हैं।

(ग) अक्रिय आरक्षित निधियाँ:


वर्ष 2020-21 में दो अक्रिय आरक्षित निधियां थी जिनका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	8229	101- शैक्षिक उद्देश्यों हेतु विकास निधि	0.01(जमा)
2.	8229	110- विद्युत् विकास निधि	36.49(नामे)
योग			36.48(नामे)

6.16 प्रमुख उपकर

6.16.1 हरित ऊर्जा उपकर:

'उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम 2014' में निहित जानकारी के अनुसार उपकर ऐसी बिजली पर लगाया जाएगा जो राज्य के भीतर उत्पन्न होती है और राज्य के बाहर प्रेषित की जा रही है। इसके अलावा राज्य के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर दस पैसे प्रति यूनिट तक हरित ऊर्जा उपकर लगाया जाएगा और उपकर की राशि ऐसे जनरेटर या यूपीसीएल द्वारा



एकत्र की जानी चाहिए और हरित ऊर्जा कोष में जमा की जानी चाहिए। वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तराखंड सरकार ने हरित ऊर्जा उपकर के रूप में ₹ 70.00 करोड़ रुपये का संग्रह किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम 2014 की धारा 6 और 7 (1) के अनुसार, राज्य सरकार को 'हरित ऊर्जा कोष' नामक एक कोष स्थापित करने की आवश्यकता है और उपकर की आय को इस निधि में स्थानांतरित किया जाना है। राज्य। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई कोष स्थापित नहीं किया गया है।

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>

www.censer.in (M) 9810213218